न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसी,सिद्धार्थनगर
प्र०फौ० वाद सं०..... **0000101/2016**
परवीन बानो बनाम खलीलुर्रहमान व अन्य
दिनांक**: 10-10-2017**

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पत्रावली आज अन्तरिम भरण-पोषण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम पर आदेश हेतु नियत है। उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

निस्तारण अन्तरिम भरण-पोषण प्रार्थना पत्र व आपत्ति

आवेदिका द्वारा अन्तरिम भरण-पोषण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत कर दौरान बिचारण बिपक्षी स०-1 से अन्तरिम भरण-पोषण दिलाये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप मे आवेदिका का सशपथ कथन है कि बिपक्षी आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित किया है। बिपक्षी से बलपूर्वक बेदखली व तत्कालिक खतरा भी बिपक्षी से है। आवेदिका भूखमरी का शिकार हो रही है। बिपक्षी सहायक अध्यापक के रुप मे पूर्व माध्यमिक बिद्यालय बरगदवा प्रथम मे कार्यरत है। जिसका मूल वेतन मु० 16,540/ कुल भुगतान मु० 37,056/ रुपये वेतन पाता है। बिपक्षी के वेतन का एक तिहाई हिस्सा अंतरिम भरण-पोषण के रुप मे दिलाये जाने का कथन किया गया है। बिपक्षी से आवेदिका तथा उसकी पुत्री के भरण-पोषण के लिये मु० 12,000/ रुपये दिलाये जाने की याचना की गयी है। आवेदिका का प्रार्थना पत्र शपथ-पत्र से समर्थित है।

बिपक्षीगण द्वारा अन्तरिम भरण-पोषण प्रार्थना पत्र पर आपत्ति करते हुये संक्षेप मे कथन किया गया है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा घरेलू हिसा के बावत कोई आख्या नही दिया गया है। आख्या के कालम 4 मे यह स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि बिपक्षी आवेदिका को अपने साथ ले जाने के लिये तैयार है किन्तु आवेदिका उसके साथ जाने को तैयार नही है। उभयपक्ष मे आपसी तालमेल न होने के कारण विबाद है। बिपक्षी के बालदैन का देहान्त हो चुका है तथा सभी भाई एक-दूसरे से अलग हो चुके है। आवेदिका तथा बिपक्षी साथ रहते रहे है और अन्य कोई साथ नही रहता । आवेदिका दिनांक 11-03-2016 की घटना दिखाकर तथा दिनांक 26-04-2015 की आहत आख्या लगाकर गलत व बढा-चढा कर वाद दाखिल कर दिया है। पुलिस लाइन परामर्श केन्द्र मे सुलह के दौरान आवेदिका बिपक्षी के साथ रहने से इन्कार करते हुये नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रही है तथा नर्सिंग का प्रशिक्षण लेने के लिये दबाव बनाने के लिये परिवाद व भरण-पोषण का मुकदमा कर दिया है। सुलह- समझौता के लिये आवेदिका उपस्थित नही होती थी जिसके कारण सुलह नही हुआ। आवेदिका लखनऊ मे नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रही है। बिपक्षी अकेले खाना बनाता है तथा अपने बच्ची से अलग रह रहा है। आवेदिका अपनी मर्जी से बिपक्षी से अलग रह रही है। अतः आवेदिका के अन्तरिम भरण-

पोषण के प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद आवेदिकागण द्वारा धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम के तहत इस न्यायाल मे दिनांक 31-03-2016 को संस्थित किया गया है। आवेदिका का कथन है कि उसका निकाह बिपक्षी खलीलुर्रहमान से 2012 को हुई थी। पति-पत्नी के संबन्धो से एक पुत्री जोया रहमान पैदा हुई, जिसकी उम्र ३ वर्ष है। इसके बाद बिपक्षीगण दहेज के बहाने आवेदिका को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित करने लगे। बिपक्षीगण आवेदिका को दिनांक 26-04-2015 मार-पीट कर जबरजस्ती घर से निकाल दिया है। पुनः दिनांक 11-03-2016 को आवेदिका के साथ मार-पिट कर जलाने का प्रयास किया गया। आवेदिका इस समय बच्चे के साथ अपने पिता के घर रहकर किसी तरह जीवन यापन कर रही है। उभयपक्ष द्वारा आवेदिका तथा खलीलुर्रहमान की शादी होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदिका विपक्षी के साथ साझी गृहस्थी मे रह चुकी है तथा विपक्षीगण के साथ घरेलू नातेदारी की परिभाषा मे आती है। विपक्षीगण ने आपत्ति मे मुख्य रुप से कथन किया है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के आख्या मे घरेलू हिसा के बावत कोई कथन नही किया गया है, अपितु यह बताया गया है कि उभयपक्ष मे आपसी मतबेद है इसलिये आवेदिका बिपक्षी के साथ नही जाना चाहती है। इसके सन्दर्भ मे यह उल्लेखनीय है कि घरेलू हिसा कारित किये जाने का कथन एक साक्ष्य का बिषय-वस्तु है जो अंतरिम भरण-पोषण के प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के स्तर पर इसका कोई बिशेष महत्व नही है । आवेदिका के बिरुद्ध कोई घरेलू हिंसा का अपराध कारित किया गया है अथवा नही यह वाद के अंतिम निस्तारण के समय उभयपक्ष के साक्ष्यो के उपरान्त देखा जायेगा। आवेदिका का मात्र उसके जीवन को खतरा की आशंका मात्र बिपक्षी से अलग रहने का पर्याप्त कारण हो सकता है।

बिपक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि सुलह का कई बार प्रयास किया गया किन्तु आवेदिका उपस्थित नही होती थी, जिसके कारण सुलह-समझौता असफल रहा। बिपक्षी द्वारा सुलह-समझौता केन्द्र सिद्धार्थनगर की आख्या दाखिल किया गया है। जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि उभयपक्ष के मध्य सुलह-समझौता का प्रयास असफल रहा है। उ०प्र० सुलह नियमावली, 2009 तथा सुलह-समझौता के सिद्धान्तो के अनुसार न्यायालय यह नही देखेगी कि किस व्यक्ति की कमी के कारण सुलह-समझौता असफल रहा है। इस नियमावली के तहत यह भी प्रावधानित है कि सुलह प्रक्रिया बिशुद्ध रुप से गोपनीय होना चाहिये तथा इसके तथ्यो को सार्वजनिक नही किया जाना चाहिये। न्यायालय केवल सुलह-समझौता का परिणाम देखती है, न की उसकी सफलता व असफलता का कारण, क्योकि न्यायालय को मामले को नियमानुसार सुलह आख्या के कारणो से बिना प्रभावित हुये मामले को नियमानुसार गुण-दोष पर निस्तारित करना होता है। प्रस्तुत मामले मे उपरोक्त सिद्धान्त आज्ञाप्क व बाध्यकारी है इसलिये

बिपक्षी का आवेदिका द्वारा सुलह मे भाग न लेना तथा उसके कारण सुलह बिफल होने का तर्क बलहीन है।

घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम,2005 एक कल्याणकारी अधिनियम है जो महिलाओ के प्रति होने वाले हिंसा से संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम एक प्रकार का विशेष अधिनियम है जो अन्य अधिनियम पर अभिभावी प्रभाव रखने के साथ-साथ अन्य अधिनियम मे प्रावधानित उपचार पर बिना किसी बिपरित प्रभाव डाले, अतिरिक्त उपचार की व्यवस्था करता है।

प्रस्तुत मामले मे उभयपक्ष द्वारा आवेदिका परविन बानो तथा खलीलुर्रहमान की शादी होना तथा दोनो के संसर्ग से पुत्री जोया रहमान का पैदा होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदिका विपक्षी के साथ साझी गृहस्थी मे रह चुकी है तथा विपक्षीगण के साथ घरेलू नातेदारी की परिभाषा मे आती है। प्रस्तुत मामले मे आवेदिका अपने पुत्री को लेकर मायके मे रहकर किसी तरह भरण-पोषण कर रही है तथा उसके पास आय का कोई स्रोत नही है। पत्नी व बच्चो के भरण-पोषण की बिधिक व प्राथमिक दायित्व पति का होता है। बिपक्षी के पास आय के स्रोत है तथा बिपक्षी खलीलुर्रहमान सहायक अध्यापक है। अतः मामले के समग्र तथ्य व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये आवेदिकागण का अंतरिम भरण-पोषण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका का अंतरिम भरण-पोषण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आपत्ति तदनुसार निस्तारित किया जाता है। बिपक्षी खलीलुर्रहमान को आदेशित किया जाता है कि दौरान विचारण आवेदिका तथा उसकी पुत्री जोया रहमान को मु० 12,000/ प्रतिमाह बतौर अन्तरिम भरण-पोषण प्रदान करे। यह भरण-पोषण की धनराशि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह मे नियमित रुप से देय होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्तरिम भरण-पोषण के कारण वाद का बिचारण बाधित नही होगा अपितु नियमित रुप से नियमानुसार चलता रहेगा तथा बिपक्षी आदेशानुसार अन्तरिम भरण-पोषण प्रदान करता रहेगा। आवेदिका साक्षियो की सूची मय मुख्य परीक्षा दाखिल कर साक्षियो को जिरह हेतु प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते जिरह पी०डब्लू-1 दिनांक 07-11-2017 को पेश हो।

<u>दिनांक</u>**: 10-10-2017**

(विनोद शर्मा)
सिविल जज (जू०डि०)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बॉसी,
सिद्धार्थनगर